# व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (2023–24)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

# व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2023–24

## खंड–कः सामान्य प्रकटीकरण

### I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)** | : | U45203UR1988GOI009822 |
| 2 | **सूचीबद्ध इकाई का नाम** | : | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है) |
| 3 | **गठन का वर्ष** | : | 1988 |
| 4 | **पंजीकृत पता** | : | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड) |
| 5 | **कॉरपोरेट पता** | : | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड –249201 (उत्तराखंड) |
| 6 | **ई मेल आई डीः** | : | cmd@thdc.co.in |
| 7 | **दूरभाष संख्या** | : | 0135–2473311 |
| 8 | **वेबसाइट** | : | www.thdc.co.in |
| 9 | **जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित हैः** | : | 2023–24 |
| 10 | **उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैंः** | : | लागू नहीं |
| 11 | **संदत्त पूंजी** | : | रु. 3665.88 करोड़ (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार) |

12 **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता हैः** श्री ए के घिल्डियाल, सीजीएम (एमपीएस/कॉर्पोरेट प्लानिंग), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश–249201 (उत्तराखंड), (ईमेल–**akghildiyal@thdc.co.in**)

13. **रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है) :** समेकित

### II. उत्पाद और सेवाएं

**1. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):**

| क्र. सं. | मुख्य गतिविधि का विवरण | व्यावसायिक गतिविधि का विवरण | यूनिट के कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| 1. | विद्युत उत्पादन | जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री | 100 |

**2. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा) :**

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवा | एनआईसी कोड | कुल कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|---|
| 1. | विद्युत शक्ति, परामर्शिता और कोयला खनन | 3510 | 100 |

### III. प्रचालन

**1. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं :**

| स्थान | संयंत्रों/निमार्णाधीन/विकास परियोजनाओं की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| **राष्ट्रीय** | 10 | टीएचडीसीआईएल के 06 प्रचालनात्मक संयंत्र, 02 निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाएं, 01 निर्माणाधीन थर्मल परियोजना, 01 कोयला खनन परियोजना है। |
| **अंतरराष्ट्रीय** | शून्य | |

**2. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार :**

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है। राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

**क. स्थानों की संख्या :**

| स्थान | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्य सरकारों की संख्या) | 12 |
| राष्ट्रीय (राज्य निजी डिस्कॉमों की संख्या) | 03 |
| अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या) | शून्य |

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त –

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

**IV. कर्मचारी**

**1. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:**

**क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):**

| क्रमांक | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | %(ग/क) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| 1 | स्थायी (घ) | 898 | 835 | 92.98 | 63 | 7.02 |
| 2 | स्थायी के अलावा (ड़) | 197 | 174 | 88.32 | 23 | 11.68 |
| 3 | कुल कर्मचारी (घ+ड़) | 1095 | 1009 | 92.14 | 86 | 7.85 |
| | **कामगार** | | | | | |
| 4 | स्थायी (च) | 883 | 820 | 92.86 | 63 | 7.13 |
| 5 | स्थायी के अलावा (छ) | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | कुल कर्मचारी (च+छ) | 891 | 828 | 92.93 | 63 | 7.07 |

**ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार**

| क्रमांक | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | %(ग/क) |
| | **दिव्यांग कर्मचारी** | | | | | |
| 1 | स्थायी (घ) | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 |
| 2 | स्थायी के अलावा (ड़) | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | कुल कर्मचारी (घ+ड़) | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.34 |
| | **दिव्यांग कामगार** | | | | | |
| 4 | स्थायी (च) | 25 | 22 | 88 | 3 | 12 |
| 5 | स्थायी के अलावा (छ) | उपलब्ध नहीं | | | | |
| 6 | कुल कर्मचारी (च+छ) | 25 | 22 | 88 | 3 | 12 |

**2. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व :**

| | कुल (क) | महिलाओं की संख्या और प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) |
| निदेशक मंडल | 8 | 1 | 12.5% |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 3 | 1 | 33.33% |

3. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर
(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

| | | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर) | | | वित्त वर्ष 2021–22 (चालू वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | सेवानिवृत्त | 52 | 0 | 52 | 47 | 2 | 49 | 42 | 1 | 43 |
| | इस्तीफा दिया | 21 | 1 | 22 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| स्थायी कामगार | सेवानिवृत्त | 29 | 0 | 29 | 36 | 2 | 38 | 40 | 1 | 41 |
| | इस्तीफा दिया | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |

## V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

1. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

| क्रमांक | धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क) | बताएं कि क्या धारक/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम | सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एनटीपीसी लिमिटेड | धारक कंपनी | 74.49 | हां |
| 2. | टुस्को लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 74.00 | नहीं |
| 3. | ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 74.00 | नहीं |
| 4. | टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 74.00 | नहीं |

## VI. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रु. में):– (कुल राजस्व)– रु. 2012.09 करोड़

(iii) निवल मूल्य (रु. में):– रु. 10546.68 करोड़

## VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

1. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है | शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें) | (वित्त वर्ष 2023–24 चालू वित्तीय वर्ष) | | | (वित्तीय वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां |
| समुदाय | कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) **(https://www.thdc.co.in/content/feedback-form)** | शून्य | शून्य | – | शून्य | शून्य | – |
| | वीपीएचईपीः तिमाही आधार पर समिति के माध्यम से समाधान | 01 | शून्य | – | 01 | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | हां **https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html** | शून्य | शून्य | – | शून्य | शून्य | – |
| शेयरधारक | हां **https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html** | शून्य | शून्य | – | शून्य | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी और कामगार | हां **www.thdc.co.in** | शून्य | शून्य | – | 02 | 01 | – |
| ग्राहक | वार्षिक फीडबुक और डिस्कॉम के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से | शून्य | शून्य | – | शून्य | शून्य | शून्य |

## 2. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

| क्रमांक | पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे | इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण | जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राख (ऐश) का निपटान | अवसर | अवसर<br>अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। | फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। टीएचडीसीआईएल विभिन्न निर्माण गतिविधियों/उद्योगों जैसे ईंटों, कंक्रीट फुटपाथ आदि में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और अवसरों की खोज कर रहा है ताकि राख के भंडारण को कम किया जा सके। | बाजार के वर्तमान रुझान के अनुसार फ्लाई ऐश की दर वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है। |
| 2 | पीएएफ/स्थानीय लोगों की वैध अपेक्षाएं | जोखिम | कार्य अनुभव के आधार पर | • मुद्दों के समाधान के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करके विश्वास बनाने के लिए निरंतर संचार और परामर्श/बातचीत।<br>• कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करना।<br>• परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए अत्यधिक आग्रह या प्रेरणा।<br>• एक किस्त पर विशेष पैकेज का भुगतान। | परियोजना निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है। |

## खंड– खः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

| | प्रकटीकरण प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं | | | | | | | | | |
| 1.क. | क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 1ख. | क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 1ग. | नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | * | * | वैब पर नहीं | * | * | * | वैब पर नहीं | * | - |
| 2. | क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां / नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां / नहीं) | कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें |
| 4. | राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया। | |
| 5. | विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों। | |
| 6. | विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख। | सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। |
| | **अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण** | |
| 7. | ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है) | |
| 8. | व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण। | लागू नहीं |
| 9. | क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें। | वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति ने सततता संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। |
| 10. | कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण: | |

| समीक्षा के लिए विषय | इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/ समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
| उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई | संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है। | | | | | | | | | जब भी आवश्यक हो। | | | | | | | | |
| सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं | जब भी आवश्यक हो। | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम दें। | नहीं |

**12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:**

| प्रश्न | |
|---|---|
| संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां / नहीं) | टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है। |
| संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां /नहीं) | |
| संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां /नहीं) | |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां /नहीं) | |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | |

- **पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/environment-policy
- **आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/rr-policy
- **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf
- **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf
- **टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**
  https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues
- **कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf
- **सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf
- **व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

| सिद्धांत संख्या | विवरण | नीति / नीतियां | निदेशक जवाबदार |
|---|---|---|---|
| सिद्धांत 1 (पी1) | व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और अभिशासन करना चाहिए। | • विजन, मिशन और मान्यताएं<br>• आचरण अनुशासन और अपील नियम<br>• कामगारों के लिए स्थायी आदेश<br>• कॉर्पोरेट आचार नीति<br>• व्यापार आचार और नैतिकता संहिता<br>• सीडीए नियम<br>• सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति<br>• सत्यनिष्ठा समझौता<br>• टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल<br>• टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति। | निदेशक (वित्त)<br>निदेशक (तकनीकी)<br>निदेशक (कार्मिक) |
| सिद्धांत 2 (पी2) | व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। | सुरक्षा नीति<br>सीएसआर और स्थिरता नीति<br>आईएसओ 45001:2018 | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 3 (पी3) | व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। | मानव संसाधन नीतियां<br>भर्ती और स्थानांतरण नीति | निदेशक (कार्मिक) |
| सिद्धांत 4 (पी4) | व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। | आर एंड आर नीति<br>विजन और मिशन | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 5 (पी5) | व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। | विजन, मिशन और मान्यताएं<br>मानव संसाधन नीतियां | निदेशक (कार्मिक) |
| सिद्धांत 6 (पी6) | व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। | पर्यावरण नीति<br>आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 7 (पी7) | व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो। | • आचार संहिता<br>• मूल्य मान्यताएं | निदेशक (तकनीकी)<br>निदेशक (कार्मिक)<br>निदेशक (वित्त) |

| सिद्धांत संख्या | विवरण | नीति / नीतियां | निदेशक जवाबदार |
|---|---|---|---|
| सिद्धांत 8 (पी8) | व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए। | सीएसआर और सततता नीति<br>सीएसआर संचार कार्यनीति | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 9 (पी9) | व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए। | सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि:<br>• टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है।<br>• विद्युत का आबंटन कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।<br>• टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है।<br>• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है।<br>• मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं।<br>• ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है। | |

## खंड – ग: सिद्धांत–वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

### सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

| खंड | आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत और इसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 1 | सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम | 50% |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | शून्य | शून्य | शून्य |
| निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी | 10 | • वीएडब्ल्यू 2023 के अग्रदूत के रूप में 55 कार्यपालकों (ई–7 / ई–8 कार्यपालकों) को कवर करते हुए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – "नैतिकता और शासन, सार्वजनिक खरीद प्रणाली और प्रक्रिया, जांच में आईओ / पीओ की भूमिका" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।<br>• 59 कार्यपालकों को कवर करते हुए "भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" पर चर्चा<br>• 43 कार्यपालकों को कवर करते हुए क्षमता निर्माण कार्यक्रम – खरीद प्रबंधन | 43.31% |

| खंड | आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | | • 52 कार्यपालकों (ई–2 से ई–6) को कवर करते हुए "नैतिकता और शासन, सार्वजनिक खरीद प्रणाली और जांच करने में आईओ/पीओ के संगठन की प्रक्रिया" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम – वीएडब्ल्यू 2023<br>• 116 कार्यपालकों को कवर करते हुए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली<br>• 40 कार्यपालकों को कवर करते हुए पक्ष–समर्थन कार्यक्रम<br>• 17 कार्यपालकों को कवर करते हुए सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>• 02 कार्यपालकों को कवर करते हुए आरटीआई और संगठनात्मक पारदर्शिता के लिए निवारक सतर्कता<br>• निवारक सतर्कता पर कार्यशाला –02 कार्यपालक<br>• 03 कार्यपालकों को कवर करते हुए निवारक सतर्कता, ई–खरीद और सुशासन की कुंजी<br>**कवर किए गए कुल कार्यपालक = 389** | |
| कामगार | 02 | • 02 कार्यपालकों को कवर करते हुए सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम<br>• 03 कार्यपालकों को कवर करते हुए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली<br>**कवर किए गए कुल कार्यपालक = 05** | 0.56% |

2. **निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/ शास्ति/ एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):**

| मौद्रिक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम | राशि (रु. में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं) |
| शस्ति/जुर्माना | शून्य | | | | |
| समझौता | | | | | |
| कंपाउंडिंग शुल्क | | | | | |

| गैर–मौद्रिक | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं) |
| कारावास | शून्य | | | |
| सज़ा | | | | |

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।**

– लागू नहीं

4. **क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों / नीतियों / संहिताओं / विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

### (क) विजन, मिशन और मान्यताएं:

**विजन:** "एक एकीकृत वैश्विक ऊर्जा संगठन जो भारत की शुद्ध–शून्य (नेट–जीरो) आकाँक्षाओं की अभिप्राप्ति के लिए सतत समाधान प्रदान करे"

**मिशन:**

- विविध स्रोतों से स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खोज करना एवं सुचारु परिवर्तन को सक्रिय करने के लिए गुणवत्तापरक स्थायी समाधान प्रदान करना।
- व्यक्तियों को सक्षम एवं विकसित करते हुए परिवर्तन को अंगीकार करने हेतु संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करना।
- व्यावसायिक गतिविधियों में उच्चतम नैतिक मानकों एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहकर कार्य करना एवं पर्यावरण एवं व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करना।
- उच्च उत्पादकता और दक्षता को हासिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना।

#### मान्यताएं

#### मूल मान्यताएं: एस्पायर (एएसपीआईआरई)

ए: अकाउंटेबिलिटी (जबावदेही)

एस:सस्टेनिबिलिटी (सततता)

पी: पैशन (अभिलाषा)

आई: इनोवेशन (नवाचार)

आर: रेस्पेक्ट (आदर)

ई: एथिक्स (नैतिकता)

### (ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

### (ग) कामगारों के लिए स्थाई आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

### (घ) कॉर्पोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखती है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक

नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कॉर्पोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

### (ङ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता:

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49, जहां कहीं लागू हो और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

### (च) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने "सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देश" को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि "कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।"

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।
- सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना।
- प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

### (च) सत्यनिष्ठा समझौता:

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ऐसे निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरूद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| निदेशक | शून्य | शून्य |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी | शून्य | शून्य |
| कामगार | शून्य | शून्य |

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणियां | संख्या | टिप्पणियां |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | – | शून्य | – |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | – | शून्य | – |

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– **लागू नहीं**

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए क्रमशः विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत ।

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2023–24) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास व्यय

| क्रमांक | परियोजना का विवरण | वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में) | अध्ययन का प्रभाव | अध्ययन के परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से माइक्रो–प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंग: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम। | 7.22 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/ आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2072/1031 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| 2. | गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ एक फेज–आधारित रणनीति विकसित करना | 95.304 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2064/1022 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| 3. | घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग | 95.304 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2063/1021 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | बायो–मास से ग्रीन हाइड्रोजन और बायो–चार का सह–उत्पादन | 51.3 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी / आरकेएसएच / आरएंडडी / एफ – 2065 / 1023 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई।<br>चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| 5. | फोटो–इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना–विस्तृत परियोजना प्रस्ताव | 44.55 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी / आरकेएसएच / आरएंडडी / एफ – 2067 / 1025 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई।<br>चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| 6. | न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास | 23.67 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी / आरकेएसएच / आरएंडडी / एफ–2071 / 1030 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई।<br>चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| 7. | सीवेज कीचड़ और ओएफएमएसडब्ल्यू के हाइड्रोथर्मल पूर्व–उपचार के माध्यम से नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण | 31.71 | यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी / आरकेएसएच / आरएंडडी / एफ–2070 / 1029 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई।<br>चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। | 2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है |
| | कैपेक्स<br>केएसटीपीपी: परियोजना स्थल | पर्यावरण पर 284.15 करोड़ और सामुदायिक विकास पर 17.51 करोड़ | **क. पर्यावरण उपाय**<br>(i) एफजीडी: फ़्लू–गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (एफजीडी) प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के निकास फ्ल्यू गैसों, और अन्य सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं जैसे अपशिष्ट भस्मीकरण, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, सीमेंट और चूने के भट्टों से उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) को हटाने के लिए किया जाता है।<br>(ii) ईएसपी: एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) एक फ़िल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बल का उपयोग करके एक बहती हुई गैस से धूल और धुएँ जैसे महीन कणों को हटाता है, जिससे इकाई के माध्यम से गैसों के प्रवाह में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होती है।<br>(iii) लगभग 170 हेक्टेयर भूमि पर विकासाधीन हरित पट्टी।<br>(iv) शून्य तरल निस्सरण की व्यवस्था<br>(v) वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण। | |
| | कैपेक्स<br>वीपीएचईपी (पर्यावरण) | 0.31 करोड़ पर्यावरण | | |

2. **क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)**

– हां

**ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?**

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

**(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)**

ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

**(ख) ई–अपशिष्टः**

टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

**(ग) खतरनाक अपशिष्टः**

अपशिष्टः संविदाकार द्वारा परियोजनाओं में खतरनाक अपशिष्ट का निपटान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है। सभी खतरनाक अपशिष्ट को रिसाव रोधी बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों / रीसाइक्लर को सौंप दिया जाता है।

**(घ) अन्य अपशिष्टः बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधनः–**

बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरे एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बायोमेडिकल अपशिष्ट को कलर कोडेड डिब्बे में रखा जा रहा है। फिर अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को सौंप दिया जाता है।

**4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां , तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।**

हां। ईपीआर सीधे टीएचडीसीआईएल पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि, विदेशों से आयातित मशीन भागों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए, सीपीसीपी पोर्टल पर ईपीआर पंजीकरण किया गया था। संबंधित विभाग और एजेंसियों द्वारा परिसर में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, प्लास्टिक के न्यूनतम आयात के कारण ईपीआरए पोर्टल द्वारा टीएचडीसीआईएल को रीसाइक्लिंग के लिए शून्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## सिद्धांत 3ः व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

**1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः**

| श्रेणी | निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख / क) | संख्या (ग) | % (ग / क) | संख्या (घ) | % (घ / क) | संख्या (ड़) | % (ड़ / क) | संख्या (च) | % (च / क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| **पुरुष** | 835 | लागू नहीं | लागू नहीं | 835 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | 835 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **महिला** | 63 | लागू नहीं | लागू नहीं | 63 | 100% | 63 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | 898 | लागू नहीं | लागू नहीं | 898 | 100% | 63 | 7.01% | 835 | 92.98% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **स्थायी कर्मचारी के अलावा** | | | | | | | | | | | |
| **पुरुष** | 174 | 174 | 100% | 174 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **महिला** | 23 | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | 197 | 197 | 100% | 197 | 100% | 23 | 11.67% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण :

| श्रेणी | कवर किए गए कामगारों का प्रतिशत | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) | % (घ/क) | संख्या (ड़) | % (ड़/क) | संख्या (च) | % (च/क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| **पुरुष** | 820 | लागू नहीं | लागू नहीं | 820 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | 820 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **महिला** | 63 | लागू नहीं | लागू नहीं | 63 | 100% | 63 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | 883 | लागू नहीं | लागू नहीं | 883 | 100% | 63 | 7.13% | 820 | 92.87% | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **स्थायी कर्मचारी के अलावा** | | | | | | | | | | | |
| **पुरुष** | 11794 | लागू नहीं | लागू नहीं | 11794 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **महिला** | 277 | लागू नहीं | लागू नहीं | 277 | 100% | 277 | 100% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | 12071 | लागू नहीं | लागू नहीं | 12071 | 100% | 277 | 2.29% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण :

| लाभ | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या | प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एन ए) | कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या | प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं) |
| पीएफ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| उपदान | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ईएसआई | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें | जीएसएलआई योजना के 2014 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3. कार्यस्थलों की पहुंच

**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।**

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, संगठन ने संगठन के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, **https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf**

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।

| | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कर्मगार | |
|---|---|---|---|---|
| लिंग | कार्य पर वापिसी दर | प्रतिधारण दर | कार्य पर वापिसी दर | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 100% | 100% | 100% | 100% |
| महिला | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **कुल** | 100% | 100% | 100% | 100% |

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां , तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

| | हां / नहीं<br>(यदि हां , तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें) |
|---|---|
| स्थायी कामगार | हां |
| स्थायी कामगारों के अलावा | हां |
| स्थायी कर्मचारी | हां |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | हां |

7. शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण

**शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया:** 03 चरण शिकायत निवारण प्रणाली क्रियाशील है।

**चरण I:** कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर देगा।

**चरण II:** यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–I पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/विभागाध्यक्ष मामले को आगे बढ़ाएंगे, संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर देंगे। आम तौर पर, चरण–प्प में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

**चरण III:** यदि कर्मचारी अभी भी चरण– II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी को प्रस्तुत कर सकता है।

जीआरसी व्यथित कर्मचारी द्वारा लिखित/मौखिक प्रस्तुतियाँ तथा संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ तथा तथ्यों, नियमों, स्थिति और नीति, कानूनी पहलुओं, प्रासंगिक सरकारी दिशा–निर्देशों आदि के आधार पर विचार करेगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मामले में लिया गया अंतिम निर्णय सचिव–जीआरसी द्वारा व्यथित कर्मचारी तथा संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख) | % (ख / क) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ) | % (घ / ग) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | 898 | 125 | 13.92% | 780 | 78 | 10.00% |
| –पुरुष | 835 | 115 | 13.77% | 729 | 74 | 10.15% |
| –महिला | 63 | 10 | 15.87% | 51 | 04 | 7.84% |
| कुल स्थायी कामगार | 883 | 674 | 76.33% | 783 | 601 | 76.76% |
| –पुरुष | 820 | 642 | 78.29% | 729 | 588 | 80.66% |
| –महिला | 63 | 15 | 23.80% | 54 | 13 | 24.07% |

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | | कुल (क) | स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | संख्या (ख) | % (ख / क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | | संख्या (ड़) | % (ड़/घ) | संख्या (च) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 835 | 54 | 6.46% | 312 | 37.36% | 729 | 48 | 6.58% | 390 | 53.49% |
| महिला | 63 | 23 | 36.5% | 15 | 23.81% | 51 | Nil | - | 42 | 82.35% |
| कुल | 898 | 77 | 8.57% | 327 | 36.41% | 780 | 48 | 6.15% | 432 | 55.38% |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 820 | 100 | 12.19% | 114 | 13.90% | 729 | 66 | 9.05% | 28 | 3.84% |
| महिला | 63 | 02 | 3.17 | 14 | 22.22% | 54 | 03 | 5.55% | 02 | 3.70% |
| कुल | 883 | 102 | 11.55% | 128 | 14.49% | 783 | 69 | 8.81% | 30 | 3.83% |

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण :

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | संख्या (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | संख्या (घ) | % (घ/ग) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| पुरुष | 835 | 835 | 100% | 729 | 729 | 100% |
| महिला | 63 | 63 | 100% | 51 | 51 | 100% |
| कुल | 898 | 898 | 100% | 780 | 780 | 100% |
| **कामगार** | | | | | | |
| पुरुष | 820 | 820 | 100% | 729 | 729 | 100% |
| महिला | 63 | 63 | 100% | 54 | 54 | 100% |
| कुल | 883 | 883 | 100% | 783 | 783 | 100% |

**11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

**क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?**

हां, संस्था ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे संगठन में व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं, सभी कर्मचारियों और कामगारों को कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस प्रणाली के कवरेज में स्थायी और गैर–स्थायी दोनों कर्मचारी और कामगार शामिल हैं, जो उनकी भूमिकाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिमों और सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करते हैं।

इस प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **नियमित जोखिम आकलन:** संभावित कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित और गैर–नियमित मूल्यांकन करना। इसमें सुरक्षा पेशेवरों द्वारा किए जाने वाले नियमित निरीक्षण, संपरीक्षा और जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं।
2. **प्रशिक्षण और जागरूकता:** सभी कर्मचारियों और कामगारों को निरंतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं से अवगत हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप बनाए जाते हैं, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा और मशीनरी का सुरक्षित संचालन शामिल है।
3. **घटना संसूचना तंत्र:** कार्य–संबंधित खतरों और घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करना, जिससे समय पर हस्तक्षेप और सुधार संभव हो सके। कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना निकट–चूक और संभावित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
4. **आपातकालीन तत्परता:** किसी भी अप्रत्याशित घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ तैयार करना और उन्हें बनाए रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित किए जाते हैं कि सभी कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से अवगत हों।
5. **स्वास्थ्य निगरानी:** कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी, विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू करना। किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जल्द पता लगाने और उसका समाधान करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
6. **सुरक्षा समितियां:** सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सुरक्षा समितियाँ गठित करना। ये समितियाँ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निरंतर सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
7. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):** यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों और कामगारों को उचित पीपीई उपलब्ध हो और उन्हें इसके सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाती है कि पीपीई अच्छी स्थिति में है और उसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
8. **सुरक्षा संकेत और सूचना:** संभावित खतरों और सुरक्षित परिपाटियों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के लिए पूरे कार्यस्थल पर स्पष्ट और दृश्यमान सुरक्षा संकेत और जानकारी स्थापित करना।
9. **संविदाकार प्रबंधन:** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन का विस्तार करके साइट पर काम करने वाले संविदाकारों और उप–संविदाकारों को भी शामिल करना। इसमें संविदाकारों के सुरक्षा प्रदर्शन की जांच करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वे संस्था के सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।
10. **निरंतर सुधार:** फीडबैक, घटना की जांच और कानून या सर्वोत्तम परिपाटियों में परिवर्तनों के आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की नियमित समीक्षा करना और इसे अद्यतन करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रणाली प्रभावी बनी रहे और वर्तमान मानकों के अनुरूप बनी रहे।
11. **कर्मचारी सहभागिता:** सुरक्षा कार्यक्रमों और पहलों में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। संभावित सुरक्षा मुद्दों की पहचान करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए कर्मचारियों का फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

**ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**

संस्था कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित तथा गैर–नियमित दोनों आधारों पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कई प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। ये प्रक्रियाएँ सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा:
    - **नियमित निरीक्षण:** कार्यस्थल में संभावित खतरों की पहचान करने के लिए नियमित समय–सारिणी (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) पर आयोजित किया जाता है। ये निरीक्षण आम तौर पर सुरक्षा अधिकारियों या नामित सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं।
    - **संपरीक्षा:** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा की जाती हैं। इन संपरीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षक शामिल हो सकते हैं।
2. खतरा संसूचना (रिपोर्टिंग) प्रणाली:
    - **कर्मचारी रिपोर्टिंग:** कर्मचारियों को किसी भी अभिचिह्नित खतरे या असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली, जैसे कि एक समर्पित हॉटलाइन या एक ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है।
    - **निकट–चूक रिपोर्टिंग:** कर्मचारियों को निकट–चूक घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो ऐसी घटनाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप चोट नहीं लगी लेकिन ऐसा होने की संभावना थी। निकट–चूक का विश्लेषण संभावित जोखिमों को समझने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में मदद करता है।
3. जोखिम आकलन:
    - **कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए):** संभावित खतरों की पहचान करने और नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए जेएसए का संचालन करना। इसमें प्रत्येक कार्य को चरणों में विभाजित करना, प्रत्येक चरण में खतरों की पहचान करना और निवारक उपायों का निर्धारण करना शामिल है।
    - **खतरा पहचान और जोखिम आकलन (एचआईआरए):** खतरों की पहचान करने, जोखिमों का मूल्यांकन करने और नियंत्रणों को लागू करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समय–समय पर और जब भी प्रक्रियाओं या उपकरणों में परिवर्तन होते हैं, दोहराई जाती है।
4. सुरक्षा समिति की बैठकें:
    - सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने, घटनाओं की समीक्षा करने और कार्य योजनाएँ विकसित करने के लिए सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें की जाती हैं। समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।
5. घटना की जाँच:
    - दुर्घटनाओं, निकट–चूक और रिपोर्ट किए गए खतरों सहित सभी घटनाओं की गहन जाँच की जाती हैं। जाँच प्रक्रिया में मूल कारणों की पहचान करना और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करना शामिल है।
6. कार्यस्थल की निगरानी:
    - **पर्यावरण निगरानी:** कार्यस्थल की स्थितियों जैसे वायु गुणवत्ता, शोर के स्तर और खतरनाक पदार्थों के संपर्क की नियमित निगरानी की जाती हैं। इससे पर्यावरणीय खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है।
    - **उपकरण और मशीनरी की जाँच:** मशीनरी और उपकरणों की नियमित जाँच और रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे सुरक्षित कार्य स्थिति में हैं। इसमें सुरक्षा गार्ड, आपातकालीन स्टॉप और अन्य सुरक्षा सुविधाओं की जाँच शामिल है।
7. प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम:
    - खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षित कार्य प्रथाओं पर कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण में सामान्य सुरक्षा प्रशिक्षण और नौकरी–विशिष्ट प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं।
    - संभावित खतरों और सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में कर्मचारियों को अवगत रखने के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान।
8. गैर–नियमित कार्य मूल्यांकन:
    - **कार्य करने की अनुमति (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली:** अनुरक्षण, मरम्मत या निर्माण कार्य जैसे गैर–नियमित कार्यों के लिए पीटीडब्ल्यू प्रणाली को लागू करना। पीटीडब्ल्यू प्रक्रिया में कार्य शुरू होने से पहले खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और अनुमोदन शामिल है।
    - **कार्य–पूर्व योजना:** जोखिम आकलन करना और गैर–नियमित कार्यों के लिए योजना बनाना। इसमें संभावित खतरों की पहचान करना, आवश्यक नियंत्रण निर्धारित करना और कार्य शुरू करने से पहले कर्मचारियों को ब्रीफिंग देना शामिल है।
9. आपातकालीन तत्परता अभ्यास:
    - कर्मचारियों को संभावित आपात स्थितियों जैसे आग, रासायनिक रिसाव या निकासी के लिए तैयार करने के लिए नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करना। ये अभ्यास आपातकालीन योजनाओं में कमज़ोरियों की पहचान करने और प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में मदद करते हैं।

### ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, संस्था के पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए कर्मचारियों हेतु प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

**1. खतरा संसूचना (रिपोर्टिंग) प्रणाली:**

- **औपचारिक रिपोर्टिंग चैनल:** कर्मचारी कई चैनलों जैसे कि एक समर्पित हॉटलाइन, या भौतिक खतरा रिपोर्ट फ़ॉर्म के माध्यम से खतरों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इन चैनलों को आसानी से सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।
- **अनाम रिपोर्टिंग:** प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, कामगारों के पास अनाम रूप से खतरों की रिपोर्ट करने का विकल्प है।

**2. तत्काल खतरा उन्मूलन:**

- **कार्य रोकने का प्राधिकार:** यदि कामगार किसी गंभीर खतरे की पहचान करते हैं जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न जोखिम उत्पन्न करता है, तो उन्हें तुरंत काम रोकने का प्राधिकार दिया जाता है। यह प्रधिकार सुनिश्चित करता है कि कामगार स्वयं को और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकें।
- **पर्यवेक्षक अधिसूचना:** कार्य रोकने के बाद, कामगारों को अपने पर्यवेक्षक या सुरक्षा अधिकारी को खतरे के बारे में सूचित करना चाहिए। पर्यवेक्षक स्थिति का आकलन करने और कार्य फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

**3. घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ:**

- **आपातकालीन प्रोटोकॉल:** आपात स्थितियों या गंभीर खतरों की प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं। इन प्रोटोकॉल में निकासी प्रक्रियाएँ, आपातकालीन संपर्क और प्राथमिक चिकित्सा उपाय शामिल हैं।
- **जोखिम शमन:** कामगारों को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे किसी ऐसे खतरे का सामना करते हैं जिसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। सुरक्षा अधिकारी या नामित कार्मिक, जोखिम का प्रबंधन करने और इसमें शामिल सभी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

**4. प्रशिक्षण और जागरूकता:**

- **सुरक्षा प्रशिक्षण:** कामगारों को खतरों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के तरीके के साथ–साथ कार्य रोकने और स्वयं को जोखिम से दूर रखने की प्रक्रियाओं के बारे में नियमित प्रशिक्षण मिलता है। यह प्रशिक्षण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में शामिल है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
- **सुरक्षा अभ्यास:** खतरे की रिपोर्टिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए अभ्यास आयोजित करना सुनिश्चित करता है कि कामगार वास्तविक स्थितियों में तेज़ी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार हैं।

**5. सुरक्षा समितियाँ:**

- **कर्मचारी प्रतिनिधित्व:** सुरक्षा समितियों में कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो अपने सहकर्मियों द्वारा पहचानी गई चिंताओं और खतरों को सामने ला सकते हैं। ये समितियाँ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित रूप से मिलती हैं।
- **प्रतिक्रिया तंत्र:** कामगार इन समितियों के माध्यम से जोखिम रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सुधार का सुझाव दे सकते हैं।

**6. अनुवर्ती कार्रवाई और समाधान:**

- **घटना की जाँच:** मूल कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए सभी रिपोर्ट किए गए खतरों की तुरंत जाँच की जाती है। कर्मचारियों को उनकी रिपोर्ट की स्थिति और समाधान के बारे में अवगत रखा जाता है।
- **निरंतर सुधार:** संस्था कामगारों से प्राप्त फीडबैक और सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित रूप से जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम उन्मूलन की प्रक्रियाओं की समीक्षा करती हैं और इन्हें अद्यतन करती है।

### घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।

हां, संस्था के कर्मचारियों और कामगारों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है। ये सेवाएं कार्य–संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से परे कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती हैं। विशिष्ट पेशकशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

**1. सामान्य स्वास्थ्य जांच:**

- कर्मचारियों और कामगारों को उनकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने और किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या का जल्द पता लगाने के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जांच की पेशकश की जाती है।

2. **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ:**
   - ऑन–साइट चिकित्सा सुविधाएँ या स्थानीय क्लीनिकों के साथ साझेदारी के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिसमें डॉक्टरों से परामर्श, बुनियादी चिकित्सा उपचार और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों के पास रेफ़रल शामिल होता हैं।
3. **स्वास्थ्य बीमा कवरेज:**
   - व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ जो अस्पताल में भर्ती होने, विशेषज्ञ परामर्श और नैदानिक परीक्षणों सहित चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं। यह बीमा गैर–व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को कवर करने के लिए विस्तारित है।
4. **आरोग्य कार्यक्रम:**
   - कर्मचारियों और कामगारों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य सेमिनार, स्वास्थ्य मेले, स्वस्थता कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी पहलें।
5. **परामर्श सेवाएँ:**
   - तनाव, चिंता या अन्य व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कर्मचारियों और कामगारों का समर्थन करने के लिए पेशेवर परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
6. **टीकाकरण कार्यक्रम:**
   - फ्लू और अन्य रोकथाम योग्य बीमारियों जैसी आम बीमारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की पेशकश करके, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और कामगार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखें।
7. **परिवार स्वास्थ्य लाभ:**
   - स्वास्थ्य लाभ कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों तक भी विस्तारित हो सकते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच मिल सके।
8. **पोषण और जीवनशैली मार्गदर्शन:**
   - आहार विशेषज्ञों और फिटनेस विशेषज्ञों तक पहुँच सहित स्वस्थ भोजन और जीवनशैली विकल्पों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना।

### 12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

| सुरक्षा घटना / संख्या | श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| लॉस्ट टाइम इंजरी फ़्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन–व्यक्ति) | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 0 | 0 |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 0 | 0 |
| मृतकों की संख्या | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 3* | 1* |
| गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | **0** | **0** |

**वित्त वर्ष 2023–24**

- केएचईपी कोटेश्वर के सुरक्षा विभाग की अप्रैल 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में संविदा कामगार शामिल थे।
- पीएसपी, टिहरी के सुरक्षा विभाग की जुलाई 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 28 जुलाई 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।
- पीएसपी, टिहरी के सुरक्षा विभाग की अगस्त 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 21 अगस्त 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।

***वित्त वर्ष 2022–23**

- वीपीएचईपी पीपलकोटी के सुरक्षा विभाग की अप्रैल 2022 की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 3 अप्रैल 2022 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।

### 13. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

संस्था ने सभी कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट लागू किया है। इन उपायों में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें रोकथाम, निगरानी, प्रशिक्षण और निरंतर सुधार शामिल हैं।

1. **व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस):**
    - **कार्यान्वयन:** आईएसओ 45001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक मजबूत ओएचएसएमएस, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के व्यवस्थित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।
    - **नीति और प्रक्रियाएँ:** सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा ज़िम्मेदारियों, प्रथाओं और अपेक्षाओं को रेखांकित करने वाली स्पष्ट नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
2. **जोखिम आकलन और खतरे की पहचान:**
    - नियमित जोखिम आकलन: कार्यस्थल के खतरों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए नियमित और गैर–नियमित जोखिम आकलन करना।
    - कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए): संभावित खतरों की पहचान करने और नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों का विस्तृत विश्लेषण।
    - खतरे की रिपोर्टिंग: एक सक्रिय जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली जो कर्मचारियों को असुरक्षित स्थितियों और निकट–चूक की तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा देती है।
3. **प्रशिक्षण और शिक्षा:**
    - स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण: सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उचित उपयोग पर नियमित प्रशिक्षण सत्र।
    - प्रवेशन कार्यक्रम: नए कर्मचारियों को कार्यस्थल के खतरों और सुरक्षा प्रथाओं से परिचित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रवेशन।
    - जारी शिक्षा: नवीनतम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं पर कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित निरंतर अधिगम अवसर।
4. **आपातकालीन तत्परता:**
    - आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ: आग, रासायनिक रिसाव और प्राकृतिक आपदा सहित विभिन्न परिदृश्यों के लिए सुपरिभाषित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ।
    - अभ्यास और सिमुलेशन: कर्मचारियों को तैयार रखने और आपातकाल में अपनी भूमिकाएँ जानने के लिए नियमित आपातकालीन अभ्यास और सिमुलेशन।
    - प्राथमिक चिकित्सा: साइट पर प्राथमिक चिकित्सा स्टेशनों और प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता।
5. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):**
    - पीपीई का प्रावधान: यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के पास आवश्यक पीपीई तक पहुँच हो और उन्हें इसके उचित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
    - अनुरक्षण और निरीक्षण: पीपीई का नियमित निरीक्षण और अनुरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अच्छी कार्यशील स्थिति में है।
6. **कार्यस्थल निगरानी:**
    - पर्यावरण निगरानी: कार्यस्थल की स्थितियों जैसे वायु गुणवत्ता, शोर के स्तर और खतरनाक पदार्थों के संपर्क की नियमित निगरानी।
    - स्वास्थ्य निगरानी: विशिष्ट जोखिमों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, व्यावसायिक रोगों का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. **घटना रिपोर्टिंग और जांच:**
    - घटना प्रबंधन प्रणाली: कार्यस्थल की घटनाओं और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और जांच के लिए एक प्रणाली।
    - मूल कारण विश्लेषण: मूल कारणों की पहचान करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए गहन जांच करना।
8. **स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम:**
    - कल्याण पहल: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, जिसमें फिटनेस कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं शामिल हैं।
    - मानसिक स्वास्थ्य सहायता: कर्मचारियों के समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।

9. **सुरक्षा समितियाँ और कर्मचारी भागीदारी:**

- **सुरक्षा समितियाँ:** सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा समितियों की स्थापना करना।
- **कर्मचारी प्रतिक्रिया:** सुरक्षा बैठकों में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा प्रथाओं और नीतियों पर प्रतिक्रिया माँगना।

10. **निरंतर सुधार:**

- **नियमित समीक्षा:** सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा और अद्यतन करना।
- **प्रदर्शन मेट्रिक्स:** स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को ट्रैक करना, जैसे कि घटना दर और अनुपालन स्तर।
- **संपरीक्षा और मूल्यांकन:** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित आंतरिक और बाहरी संपरीक्षा आयोजित करना।

परियोजना स्थलों पर कर्मचारियों, संविदाकारों, उपसंविदाकारों और अन्य सभी हितधारकों को स्थायी रूप से स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटनाएं सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.09.2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

### 14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां |
| कार्य करने की स्थिति | शून्य | | | | | |
| स्वास्थ्य और सुरक्षा | | | | | | |

### 15. वर्ष के लिए आकलन

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा) |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास | (100%) मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उत्तराखंड, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्राथमिकता के हिस्से के रूप में लगातार बाहरी संपरीक्षा करता है। संपूर्ण मूल्यांकन की गारंटी के लिए, तीसरे पक्ष की दुर्घटना जांच भी की जाती है। ये कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं को बनाए रखने और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए लगातार मानक वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। |
| कार्य करने की स्थिति | (100%) प्रत्येक वर्ष, टीएचडीसीआईएल संयंत्र और परियोजनाएं नियमित, आंतरिक और बाहरी संपरीक्षा के अलावा अतिरिक्त संपरीक्षा का अनुरोध करती हैं जो कार्य करने की स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए की जाती हैं। अनुपालन की गारंटी देने और सुरक्षित परिवेश बनाए रखने के लिए, इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों का हमारा प्रतिबद्ध स्टाफ व्यापक साइट निरीक्षण और टीबीटी करता है। ये पूर्व–निवारक कदम निरंतर प्रचालन प्रभावशीलता और कामगारों के कल्याण की गारंटी देते हैं। |

### 16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

संस्था ने सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को संबोधित करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन के माध्यम से अभिचिह्नित महत्वपूर्ण जोखिमों और चिंताओं को कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण लागू किया है। निम्नलिखित की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **घटना की जांच और मूल कारण विश्लेषण:**

- **गहन जांच:** प्रत्येक सुरक्षा–संबंधी घटना के लिए, घटना के मूल कारण को समझने के लिए गहन जांच की जाती है। इसमें डाटा एकत्र करना, साक्षियों का साक्षात्कार करना और घटना के लिए अग्रणी घटनाओं के अनुक्रम का विश्लेषण करना शामिल है।

- **सुधारात्मक कार्रवाई योजनाएँ:** निष्कर्षों के आधार पर, एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना विकसित की जाती है, जिसमें पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय शामिल होते हैं।

2. **तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई:**
   - **खतरा उन्मूलन:** घटना का कारण बनने वाले खतरे को समाप्त करने या कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। इसमें दोषपूर्ण उपकरण को हटाना, असुरक्षित मशीनरी की मरम्मत या प्रतिस्थापन करना या कार्य प्रक्रियाओं को संशोधित करना शामिल हो सकता है।
   - **अतिरिक्त निगरानी:** स्थायी समाधान लागू होने तक सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की अतिरिक्त निगरानी और पर्यवेक्षण।
3. **इंजीनियरिंग नियंत्रण:**
   - **वर्कस्टेशन का पुनः डिज़ाइन:** अभिचिह्नित खतरों को समाप्त करने के लिए कार्यस्थानों या प्रक्रियाओं को पुनः डिज़ाइन करना। इसमें तनाव और चोट को कम करने के लिए एर्गोनोमिक सुधार शामिल हो सकते हैं।
   - **सुरक्षा गार्ड की स्थापना:** आकस्मिक संपर्क या चोट को रोकने के लिए मशीनरी पर सुरक्षा गार्ड और सुरक्षात्मक अवरोधों को स्थापित या उन्नत करना।
4. **प्रशासनिक नियंत्रण:**
   - **नीतियों का अद्यतन करना:** अभिचिह्नित खामियों या कमजोरियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन करना। इसमें नए सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को संशोधित करना शामिल है।
   - **उन्नत प्रशिक्षण:** घटना से संबंधित विशिष्ट खतरों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं पर कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी भविष्य में इसी तरह की स्थितियों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।
5. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):**
   - **पीपीई मूल्यांकन:** घटना विश्लेषण के आधार पर पीपीई आवश्यकताओं की समीक्षा करना और उन्हें बढ़ाना। इसमें उच्च–ग्रेड पीपीई या अतिरिक्त सुरक्षात्मक गियर प्रदान करना शामिल हो सकता है।
   - **पीपीई प्रशिक्षण:** सभी कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए पीपीई के सही उपयोग और रखरखाव पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करना।
6. **आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया:**
   - **अभ्यास और सिमुलेशन:** समान घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुधार करने के लिए आपातकालीन अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना। यह आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में किसी भी खामी की पहचान करने और तैयारी को बढ़ाने में मदद करता है।
   - **प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण:** चोटों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. **संचार और जागरूकता:**
   - **सुरक्षा बुलेटिन:** सभी कर्मचारियों को घटना, उसके कारणों और किए गए सुधारात्मक कार्यों के बारे में सूचित करने के लिए सुरक्षा बुलेटिन और अलर्ट जारी करना। यह जागरूकता और सतर्कता को बढ़ावा देता है।
   - **सुरक्षा बैठकें:** घटना पर चर्चा करने, सीखे गए सबक साझा करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा बैठकें आयोजित करना।
8. **निगरानी और समीक्षा:**
   - **अनुवर्ती निरीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती निरीक्षण करना कि सुधारात्मक कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और वे अपेक्षित रूप से क्रियाशील हैं।
   - **निरंतर निगरानी:** जोखिम की किसी भी संभावित पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए प्रभावित प्रक्रियाओं और क्षेत्रों की निरंतर निगरानी।

### मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताएँ

1. **अभिचिह्नित महत्वपूर्ण जोखिम:**
   - **मशीन गार्डिंग:** कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त मशीन गार्डिंग को एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना गया। सुधारात्मक कार्रवाइयों में नए गार्ड लगाना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका रखरखाव ठीक से किया जा रहा है, नियमित निरीक्षण करना शामिल है।

- **एर्गोनोमिक जोखिम:** वर्कस्टेशन के खराब डिज़ाइन के कारण बार–बार होने वाली तनाव संबंधी चोटें और मस्कुलोस्केलेटल विकार। उठाए गए कदमों में एर्गोनोमिक मूल्यांकन और मुद्रा में सुधार और तनाव को कम करने के लिए वर्कस्टेशन का पुनः डिज़ाइन शामिल है।

2. **कार्य स्थितियों से संबंधित चिंताएँ:**

- **शोर का स्तर:** कुछ क्षेत्रों में शोर का उच्च स्तर श्रवण संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है। शमन उपायों में ध्वनिरोधी सामग्री लगाना और उच्च गुणवत्ता वाली श्रवण सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

**सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।**

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. **आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।**

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं) | संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी | नहीं | • एमओयू पर हस्ताक्षर<br>• पत्र – व्यवहार<br>• वार्षिक रिपोर्ट<br>• बैठकें<br>• प्रस्तुतियां<br>• साइट विजिट | • वार्षिक रूप से<br>• पूरे वर्ष<br>• वार्षिक रूप से<br>• आवश्यकता पड़ने पर<br>• आवश्यकता पड़ने पर<br>• आवश्यकता पड़ने पर | पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं। |
| कर्मचारी | नहीं | • पत्रिकाओं का प्रकाशन<br>• शिकायत निवारण तंत्र<br>• परिपत्र और कार्यालय आदेश<br>• सांप्रदायिक कार्यक्रम<br>• फीडबैक<br>• सुझाव मेला | • त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• वार्षिक | कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं। |
| ग्राहक | नहीं | • पीपीए पर हस्ताक्षर<br>• प्रतिक्रिया सर्वेक्षण<br>• बैठक<br>• पत्र – व्यवहार | • किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले<br>• वार्षिक<br>• आवश्यकता पड़ने पर<br>• वार्षिक | टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता और संविदाकार | नहीं | • निविदाएं<br>• खुली बोली चर्चा<br>• नीति और प्रक्रियाएं<br>• बैठक<br>• संयुक्त चर्चा | • आवश्यकता पड़ने पर<br>• प्रत्येक एवार्ड पर<br>• पूरे वर्ष<br>• नियमित आधार पर<br>• नियमित आधार पर | टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में संविदाकार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्श दाताओं की चिंताओं को नियमित रूप से संबोधित किया जा रहा है। |
| परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय | हां | • सीएसआर कार्यक्रम<br>• बैठक<br>• शिकायत निवारण<br>• पत्रिका<br>• पैम्फलेट/वेबसाइट प्रकटीकरण<br>• जन सूचना केंद्र | • पूरे वर्ष<br>• आवश्यकता पड़ने पर<br>• पूरे वर्ष<br>• त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक<br>• पूरे वर्ष<br>• परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया | टीएचडीसीआईएल का एक मिशन " मानव चेहरे के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास करना" है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल लगभग खर्च कर रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90%। |
| मीडिया | नहीं | • प्रेस वार्ता<br>• आयोजनों के लिए आमंत्रण | • पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष | टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है। |
| बड़े पैमाने पर समाज | नहीं | • प्रेस समाचार<br>• सूचना<br>• प्रचार<br>• सीएसआर कार्यक्रम<br>• वेबसाइट पर प्रदर्शित करें<br>• फेसबुक और ट्विटर पेज | • पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष<br>• पूरे वर्ष | एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। |

**सिद्धांतः 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।**

1. **निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ) | % (घ/ग) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| स्थायी | 898 | 177 | 19.71% | 780 | 58 | 7.43% |
| स्थायी के अलावा | - | - | - | - | - | - |
| **कुल कर्मचारी** | 898 | 177 | 19.71% | 780 | 58 | 7.43% |
| **कामगार** | | | | | | |
| स्थायी | 883 | 105 | 11.89% | 783 | 25 | 3.19% |
| स्थायी के अलावा | - | - | - | - | - | - |
| **कुल कर्मचारी** | 883 | 105 | 11.89% | 783 | 25 | 3.19% |

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | | कुल (घ) | न्यूनतम मजदूरी के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | | संख्या (ङ) | % (ङ/घ) | संख्या (च) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 898 | - | - | 898 | 100% | 780 | - | - | 780 | 100% |
| **पुरुष** | 835 | - | - | 835 | 100% | 729 | - | - | 729 | 100% |
| **महिला** | 63 | - | - | 63 | 100% | 51 | - | - | 51 | 100% |
| **स्थायी के अलावा** | 197 | - | - | 197 | 100% | 162 | - | - | 162 | 100% |
| **पुरुष** | 174 | - | - | 174 | 100% | 145 | - | - | 145 | 100% |
| **महिला** | 23 | - | - | 23 | 100% | 17 | - | - | 17 | 100% |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | 883 | - | - | 883 | 100% | 783 | - | - | 783 | 100% |
| **पुरुष** | 820 | - | - | 820 | 100% | 729 | - | - | 729 | 100% |
| **महिला** | 63 | - | - | 63 | 100% | 54 | - | - | 54 | 100% |
| **स्थायी के अलावा** | 12071 | 12071 | 100% | - | - | 8935 | 8935 | 100% | - | - |
| **पुरुष** | 11794 | 11794 | 100% | - | - | 8762 | 8762 | 100% | - | - |
| **महिला** | 277 | 277 | 100% | - | - | 173 | 173 | 100% | - | - |

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में :–

| | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | 4 | 5892200.245 | 0 | |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक* | 4 | | 01 | 2,504,664.74 |
| निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी | 1271 | 2,494,217.85 | 89 | 1,862,872.66 |
| कामगार | 482 | 1,939,759.37 | 33 | 1,536,269.87 |

उपरोक्त आंकड़ों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम में शामिल हुए और अलग हुए कर्मचारी शामिल हैं।

*3 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है।

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

– नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध

शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए नीति के तहत 'शिकायत' का अर्थ केवल निगम की नीतियों/नियमों या निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्मचारी से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो स्वीकार्यता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ का विस्तार न करना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। नीति में स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार मूल्यों को शामिल किया गया है।

### 6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियां |
| यौन उत्पीड़न | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| बाल श्रम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| वेतन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

### 7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

### 8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

– हां

### 9. वर्ष के लिए आकलन:

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा) |
|---|---|
| बाल श्रम | कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, नियमित आधार पर की जाने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा का एक सुदृढ़ तंत्र है। |
| जबरन/अनैच्छिक श्रम | |
| यौन उत्पीड़न | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | |
| वेतन | |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | |

### 10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

**सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।**

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:**

| प्राचल | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| कुल बिजली खपत (क) | 65.21 एमयू | 28.04 एमयू | कॉर्पोरेट कार्यालय और संयंत्र/ परियोजनाएं शामिल हैं। |
| कुल ईंधन खपत (ख) | 355425 लीटर | 124007 लीटर | |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) (रूफ टॉप सोलर प्लांट) | 4.63 एमयू | 10.85 एमयू | |
| कुल ऊर्जा खपत (क + ग) | 69.84 एमयू | 38.89 एमयू | |
| टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/ टर्नओवर रु. में) | 0.13 किलोवाट घंटा/रु. | 0.14 किलोवाट घंटा/रु. | कॉर्पोरेट कार्यालय |

2. **क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां , तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।**

   नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:**

| प्राचल | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल | 2744526 | 1472800 |
| (ii) भूजल | 144178 | 87200 |
| (iii) तृतीय पक्ष जल | - | - |
| (iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल | - | - |
| (v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र) | 2665 | 2860 |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v) | 2891369 | 1562860 |
| पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | 2888704 | 1560000 |
| प्रति रुपये टर्नओवर में जल की गहनता (जल की खपत / टर्नओवर) | - | - |
| पानी की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है | - | - |

4. **क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां , तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें ।**

   **नहीं**

5. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :**

| कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें प्राचल | कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| नाइट्रस ऑक्साइड | माइक्रोग्राम / घ.मी. | वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है। | |
| सल्फर ऑक्साइड | माइक्रोग्राम / घ.मी. | | |
| सूक्ष्म कण (पीएम) | माइक्रोग्राम / घ.मी. | | |
| दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) | माइक्रोग्राम / घ.मी. | | |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) | माइक्रोग्राम / घ.मी. | | |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) | माइक्रोग्राम / घ.मी. | | |

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

| प्राचल | यूनिट | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| **कुल स्कोप 1 उत्सर्जन** (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो) | सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन | वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है। | |
| **कुल स्कोप 2 उत्सर्जन** (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो) | सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन | | |
| **प्रति रूपये टर्नओवर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन** | | | |
| **कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक)**<br>– संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है | | | |

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

–लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

| प्राचल | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (क) | 0.00658 | 0.806 |
| ई–कचरा (ख) | 4.928225 | 0.440 |
| जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग) | 0.388 | 0.632 |
| निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ) | 0 | 0 |
| बैटरी अपशिष्ट (ङ) | 4.704222 | 0.70 |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च) | 0 | शून्य |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ) | 10.95 | 15.59 |
| अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज) | 625.4669 | 543.38 |
| **कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)** | **646.4439** | **561.548** |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) पुनर्चक्रण | 0 | शून्य |
| (ii) पुनःप्रयुक्त | 0 | 2.88 |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन | 0 | शून्य |
| **कुल** | **0** | **2.88** |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (ii) भस्मीकरण | 0.2773 | 0.366 |
| (ii) लैंडफिलिंग | 0.1 | 0.1846 |
| (iii) अन्य निपटान प्रचालन | 0 | 0.431 |
| **कुल** | **0.3773** | **0.9816** |

**9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

कॉर्पोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

**1. कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन**

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

**2. बायो–गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना**

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

**3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं ।

**4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान**

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अन्दर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

**10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

| क्रम सं. | प्रचालन/कार्यालयों का स्थान | प्रचालन के प्रकार | क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हां/नहीं)<br>यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो। |
|---|---|---|---|
| 1. | हेलोंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी | निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट) | विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है। |

**11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:**

| नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना संख्या | दिनांक | क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां/नहीं) | सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां/नहीं) | प्रासंगिक वेबलिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

**12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है; (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:**

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

| क्र. सं. | कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था | गैर–अनुपालन का विवरण दें | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई | की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | |

**सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।**

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

   टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

   **ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है ।**

| क्र. सं. | व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम | व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|---|
| 1 | अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) | राष्ट्रीय |
| 2 | सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) | राष्ट्रीय |

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   –लागू नहीं

**सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।**

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तारीख | क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं) | सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

2. **निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है | राज्य | जिला | परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या | आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का % | वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वीएचईपी परियोजना | उत्तराखंड | चमोली | 559 | 99% | 64.01 लाख |
| 2 | अमेलिया | मध्य प्रदेश | सिंगरौली | 579 | 84.7 | 3.70 करोड़ |

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

   फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे **https://www.thdc.co.in/content/feedback-form** पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इस **https://www.thdc.co.in/content/communication-strategy** पर देखा जा सकता है।

   इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री | 77.94 करोड़ (जीईएम से) | 46.13 करोड़ (जीईएम से) |
| सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री | शून्य | |

**सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए**

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।**

   मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से प्रतिवर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. **उन सभी उत्पादों / सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:**

| | कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में |
|---|---|
| उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड | टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है। |
| सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग | |
| पुनर्चक्रण और / या सुरक्षित निपटान | |

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष) | | टिप्पणियां | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | |
| डाटा प्राइवेसी | शून्य | | | | | |
| विज्ञापन | | | | | | |
| साइबर सुरक्षा | | | | | | |
| आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी | | | | | | |
| प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं | | | | | | |
| अनुचित व्यापार व्यवहार | | | | | | |
| अन्य | | | | | | |

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

| | संख्या | वापिस मंगाने के कारण |
|---|---|---|
| स्वैच्छिक वापसी | लागू नहीं | |
| विवशतावश वापसी | | |

5. **क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क / नीति है? (हां / नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

   डाटा गोपनीयता के लिए कोई विशेष नीति नहीं है। हालाँकि, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार और सीईआरटी–इन / एनसीआईआईपीसी / सीएसके जैसी एजेंसियों के सभी निर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुनः होना; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति / की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   –लागू नहीं–